

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 538
बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहन

538. श्री मुरसोली एस.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में अधिशेष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) देशभर में स्थापित एवं उत्पादित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं को परियोजना और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित एवं वितरित की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) और (ख): वर्तमान में देश में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, जो मुख्यतः माँग-आधारित हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र इन योजनाओं और कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जिस गृह राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से ही व्यापार में वृद्धि, अधिक रोजगार से लाभान्वित होती है।
- (ग) दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोतवार और राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। तथा, वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान देश में उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोतवार और राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।
- (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अधिकांश योजनाएँ और कार्यक्रम माँग-आधारित हैं, और इसलिए राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

दिनांक 03.12.2025 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 538 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित स्रोत-वार और राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	लघु जल विद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत	सौर विद्युत	बड़ी जल विद्युत	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	163.31	4397.78	594.02	5925.61	3290.00	14370.72
2	अरुणाचल प्रदेश	140.61		0.00	15.42	1115.00	1271.03
3	असम	34.11		2.00	319.81	350.00	705.92
4	बिहार	70.70		140.22	411.14		622.06
5	छत्तीसगढ़	100.90		285.42	1621.66	120.00	2127.98
6	गोवा	0.05		1.94	69.54		71.53
7	गुजरात	113.30	14493.38	129.85	24143.16	1990.00	40869.69
8	हरियाणा	73.50		325.67	2434.40		2833.57
9	हिमाचल प्रदेश	1000.71		10.20	310.28	11421.02	12742.21
10	जम्मू और कश्मीर	189.93		0.00	79.41	3360.00	3629.34
11	झारखंड	4.05		20.14	230.74	210.00	464.93
12	कर्नाटक	1284.73	8193.29	1916.05	10592.12	3689.20	25675.39
13	केरल	276.52	71.52	2.50	1973.80	1964.15	4288.49
14	लद्दाख	45.79		0.00	11.40	89.00	146.19
15	मध्य प्रदेश	123.71	3448.15	155.46	5723.77	2235.00	11686.09
16	महाराष्ट्र	384.28	5716.31	2998.30	16137.25	3047.00	28283.14
17	मणिपुर	5.45		0.00	17.52	105.00	127.97
18	मेघालय	55.03		13.80	4.28	322.00	395.11
19	मिजोरम	45.47		0.00	31.69	60.00	137.16
20	नागालैंड	32.67		0.00	3.17	75.00	110.84
21	ओडिशा	140.63		64.22	748.38	2154.55	3107.78
22	पंजाब	176.10		576.59	1539.85	1096.30	3388.84
23	राजस्थान	23.85	5208.75	207.52	35337.88	411.00	41189.00
24	सिक्किम	55.11		0.00	7.56	2282.00	2344.67
25	तमिलनाडु	123.05	11938.34	1046.62	11471.94	2178.20	26758.15
26	तेलंगाना	90.87	128.10	221.67	5033.50	2405.60	7879.74
27	त्रिपुरा	16.01		0.00	34.22		50.23
28	उत्तर प्रदेश	50.60		2310.39	3798.04	501.60	6660.63
29	उत्तराखंड	233.82		149.57	837.70	4535.35	5756.44
30	पश्चिम बंगाल	98.50		351.86	320.62	1341.20	2112.18

31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25		0.00	31.42		36.67
32	चंडीगढ़			0.00	78.85		78.85
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव			3.75	129.40		133.15
34	दिल्ली			85.17	373.30		458.47
35	लक्षद्वीप			0.00	6.57		6.57
36	पुदुचेरी			0.00	73.41		73.41
37	अन्य		4.30	0.00	45.01		49.31
	कुल (मेगावाट)	5158.61	53599.92	11612.93	129923.82	50348.17	250643.45

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)									
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	बगास	लघु जलविद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल
28	पंजाब	0.00	848.91	385.30	67.61	318.53	2812.12	0.00	4432.47
29	राजस्थान	5279.09	34888.69	427.81	0.00	2.19	478.85	0.00	41076.63
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	2137.85	0.00	2145.06
31	तमिलनाडु	19991.27	11154.65	0.00	119.72	201.76	3988.98	0.00	35456.38
32	तेलंगाना	212.64	3774.30	8.63	0.01	45.05	5514.04	146.27	9700.94
33	त्रिपुरा	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
34	उत्तर प्रदेश	0.00	3080.79	60.44	243.65	52.03	1321.56	23.31	4781.77
35	उत्तराखंड	0.00	193.55	0.00	144.97	206.15	11998.62	0.00	12543.29
36	पश्चिम बंगाल	0.00	236.85	0.00	0.00	122.12	1859.35	857.11	3075.42
	अखिल भारतीय कुल	79150.35	94399.47	2268.76	2201.40	8628.98	123602.89	1702.57	311954.42

* भूटान से आयात को छोड़कर बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

दिनांक 03.12.2025 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 538 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार विवरण
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	बायोमास	बायोगैस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0.4					0.06
2	आंध्र प्रदेश			33.1			23.53		5.50
3	अरुणाचल प्रदेश								
4	असम								3.10
5	बिहार			1.5					
6	चंडीगढ़			0.8					
7	छत्तीसगढ़								
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव								
9	दिल्ली		1.05	22.2					
10	गोवा								0.05
11	गुजरात		26.60	52.3	3.95	4.72	24.57		0.17
12	हरियाणा			4.1	51.33				
13	हिमाचल प्रदेश			20.6	2.80		48.54		
14	जम्मू और कश्मीर			4.9					
15	झारखंड				16.05				
16	कर्नाटक				1.26		57.35	2.25	4.63
17	केरल	6.74		11.7					0.65
18	लद्दाख								
19	लक्षद्वीप								
20	मध्य प्रदेश			31.3					5.03
21	महाराष्ट्र			58.3		2.53		3.97	3.73
22	मणिपुर			4	0.36				
23	मेघालय				0.28				0.10
24	मिजोरम								
25	नागालैंड								
26	ओडिशा				0.77				0.35
27	पुदुचेरी								
28	पंजाब			6.9	8.28				3.08
29	राजस्थान	61.44	485.10	22	52.06		5.53		0.22

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	बायोमास	बायोगैस
30	सिक्किम								
31	तमिलनाडु		80.50	4.4					2.56
32	तेलंगाना		27.00	20.7		0.32			
33	त्रिपुरा			0.5	3.96				
34	उत्तर प्रदेश			19.9	15.34				0.35
35	उत्तराखंड			4.6					0.46
36	पश्चिम बंगाल								
	कुल	68.18	620.25	324.20	156.44	7.57	159.52	6.22	30.04
	अन्य*			142.2					

*SECI/REC/PSUs/Govt Deptts

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की एसएचपी, पवन ऊर्जा, सौर ऑफ-ग्रिड, सौर वीजीएफ योजनाओं आदि से संबंधित पुरानी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भी निधियां जारी की गई हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपी एसयू	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	बायोमास	बायोगैस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
2	आंध्र प्रदेश			2.1		50.55		0.99	0.88
3	अरुणाचल प्रदेश								
4	असम			0.4					0.31
5	बिहार							1.75	0.15
6	चंडीगढ़								
7	छत्तीसगढ़			1.2					1.97
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव								
9	दिल्ली			26.2					
10	गोवा			3.6					
11	गुजरात	28.0 0		1214.7		13.96			1.29
12	हरियाणा			7.7	161.12	5.05		1.05	
13	हिमाचल प्रदेश			13.8					
14	जम्मू और कश्मीर			20.2					
15	झारखंड			6.6					
16	कर्नाटक	40.0 0				0.93		2.70	0.34
17	केरल			36.3				0.79	0.45
18	लद्दाख								
19	लक्षद्वीप								
20	मध्य प्रदेश	50.8 4					73.16	1.27	1.66
21	महाराष्ट्र			63.1	9.60	2.47		0.75	0.18
22	मणिपुर			4.7					
23	मेघालय								
24	मिजोरम	0.48							
25	नागालैंड								
26	ओडिशा							0.13	
27	पुदुचेरी								
28	पंजाब			16.6	23.70				
29	राजस्थान	87.1 6		10.4	153.49		2.25		

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपी एसयू	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	बायोमास	बायोगैस
30	सिक्किम								
31	तमिलनाडु				20.30		59.26	0.02	
32	तेलंगाना		27.37	16.1		2.02		1.20	
33	त्रिपुरा				7.36				
34	उत्तर प्रदेश	0.85		5.9	13.73	0.04		3.83	
35	उत्तराखंड			10.6					
36	पश्चिम बंगाल					0.02			
	कुल	207.33	27.37	1460.20	389.30	75.04	134.67	14.48	7.23
	अन्य*			22.1	16.75				

*SECI/REC/PSUs/Govt Deptts

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की एसएचपी, पवन ऊर्जा, सौर ऑफ-ग्रिड, सौर वीजीएफ योजनाओं आदि से संबंधित पुरानी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भी निधियां जारी की गई हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई निधियां का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सौर	पीएम कुसुम	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
2	आंध्र प्रदेश			5.6				50.47	
3	अरुणाचल प्रदेश				0.82				
4	असम			4.9			0.11		
5	बिहार		1.75						
6	चंडीगढ़			2					
7	छत्तीसगढ़			3.3			3.70		
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		1.50						
9	दिल्ली			10.85					
10	गोवा								
11	गुजरात	522.17		1040.21	7.83			1.38	27.97
12	हरियाणा			14.72	137.95			3.53	
13	हिमाचल प्रदेश			11.7	5.85				4.02
14	जम्मू और कश्मीर			1.2	15.69				
15	झारखंड			3	20.04				
16	कर्नाटक			9.93			0.12		17.50
17	केरल	2.52		104.45					
18	लद्दाख								
19	लक्षद्वीप								
20	मध्य प्रदेश	109.36	32.25	35.47			0.29		96.77
21	महाराष्ट्र	12		58.95	247.60	1.75	3.04		5.08
22	मणिपुर				0.23				
23	मेघालय								
24	मिजोरम	1.28		0.8					
25	नागालैंड				0.20				
26	ओडिशा			0.6		0.40	0.47		
27	पुदुचेरी			0.01					
28	पंजाब			46.2	31.11	1.73	2.11		
29	राजस्थान			96.31	247.63		0.10		10.85
30	सिक्किम								
31	तमिलनाडु			20.54		1.03	0.34		87.81
32	तेलंगाना			43.9				0.33	

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सौर	पीएम कुसुम	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
33	त्रिपुरा				0.12				
34	उत्तर प्रदेश	28.78		5.92	82.30			1.82	
35	उत्तराखंड			1.84	4.00				
36	पश्चिम बंगाल			10.2				0.07	
	कुल	676.11	35.50	1532.60	801.37	4.91	10.28	57.60	250.00
	अन्य*			26					

*SECI/REC/PSUs/Govt Deptts

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की एसएचपी, पवन ऊर्जा, सौर ऑफ-ग्रिड, सौर वीजीएफ योजनाओं आदि से संबंधित पुरानी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भी निधियां जारी की गई हैं।

31	तमिलनाडु		80.97	13.94	2.59		0.47	2.36	
32	तेलंगाना		27.39	23.24			0.29		
33	त्रिपुरा			0.04	17.81		0.70		
34	उत्तर प्रदेश	39.30		61.06	92.13		1.84	4.71	
35	उत्तराखंड			10.77			0.77		
36	पश्चिम बंगाल					2.14			
	कुल	715.50	1081.14	1498.60	992.36	4.18	45.54	20.82	334.99
	अन्य*			59.74					

*SECI/REC/PSUs/Govt Deptts

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की एसएचपी, पवन ऊर्जा, सौर ऑफ-ग्रिड, सौर वीजीएफ योजनाओं आदि से संबंधित पुरानी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भी धनराशि जारी की गई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	पीएम-सूर्य घर	पीएम कुसुम	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0.09						
2	आंध्र प्रदेश	83.90		111.42		0.37	1.84		0.72	0.25
3	अरुणाचल प्रदेश				1.91			0.31		
4	असम			64.33						
5	बिहार		0.70	53.76						
6	चंडीगढ़			6.28						
7	छत्तीसगढ़	2.80		8.80				0.72		
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव			0.67						
9	दिल्ली		0.41	10.75						
10	गोवा			14.47					0.03	
11	गुजरात		342.20	3251.13	59.95				3.06	17.77
12	हरियाणा			207.42	303.40		2.04	0.11	7.43	
13	हिमाचल प्रदेश			18.41	1.73					
14	जम्मू और कश्मीर			59.85	12.90					
15	झारखंड			19.37	48.73	6.43				
16	कर्नाटक			81.01	0.89	0.63	4.00	0.95	8.30	24.65
17	केरल	7.40		801.27	1.72			0.04		
18	लद्दाख			2.67						
19	लक्षद्वीप			1.97						
20	मध्य प्रदेश	73.9		266.92				3.83	10.20	
21	महाराष्ट्र			1248.62	1619.00			27.77	10.20	
22	मणिपुर			2.56	0.17					
23	मेघालय			0.08						
24	मिजोरम	2.24		1.46	0.84					
25	नागालैंड			0.16						
26	ओडिशा			25.30				0.26		
27	पुदुचेरी			5.11						
28	पंजाब			81.18	13.09		7.60	2.21		
29	राजस्थान	48.5	211.30	321.04	295.20				1.69	

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	पीएम- सूर्य घर	पीएम कुसुम	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
30	सिक्किम			0.02						
31	तमिलनाडु		1.76	172.64	6.48			4.95	15.18	10.47
32	तेलंगाना		1.30	89.52		0.44		0.85	5.37	
33	त्रिपुरा			1.14	9.31	5.96		0.91		
34	उत्तर प्रदेश	155.1		684.83	173.01		0.51	0.58	23.79	292.93
35	उत्तराखंड			163.26	15.60			1.29	0.20	
36	पश्चिम बंगाल			0.10				0.01		
	कुल	373.84	557.67	7777.61	2563.93	13.83	15.99	44.79	86.17	346.07
	अन्य*	111.75		203.55	0.20			13.06		

*SECI/REC/PSUs/Govt Deptts

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की एसएचपी, पवन ऊर्जा, सौर ऑफ-ग्रिड, सौर वीजीएफ योजनाओं आदि से संबंधित पुरानी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भी निधियां जारी की गई हैं।
